

फर्द अहकाम

2025

बनाम गवर्

न्यायालय का नाम :- उपखण्ड अधिकारी, जोबनेर

केस सं. / 202.....

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	12-9-25	पत्रावली पेश हुई। आज अभिभाषक संघ ने कार्य स्थागित रखा है। अतः पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दि. 26.9.25 को पेश हो।
	26-9-25	पत्रावली पेश हुई। वादी/प्रतिवादी अधिवक्ता उपस्थित है। पूर्व आदेशानुसार दि. 27.10.25 को पेश हो।
	17-10-25	पत्रावली पेश हुई। आज अभिभाषक संघ ने कार्य स्थागित रखा है। अतः पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दि. 21.11.25 को पेश हो।
	7-11-25	पत्रावली पेश हुई। P.O. सा. अन्य राजकार्य में व्यस्त है। अतः पूर्व आदेशानुसार दिनांक 24.11.25 को पेश हो।
	21-11-25	पत्रावली पेश हुई। वादीगण एवं उनके अधिवक्ता अनुपस्थित। प्रतिवादीगण एवं उनके अधिवक्ता अनुपस्थित। मसलाना की साक्ष्य प्रमाणों से पृथक-पृथक श्रम पर तीन-तीन बार भावापे लगवायी गयी। आवक साक्ष्य लगवाने के उपरांत भी मसलाना के न्यायालय में धाजिर नहीं आने के कारण वादीगण का वाद एवं प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम अन्तर्गत सार्वजनिक विभाग-3 पर 10 के तहत अयम छाजरी व अयम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली लेखल शुभारंभ होकर नकार ले नाम होकर दाखिल दफ्तर है।

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर